## प्रेस नोटः–

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–29.04.2019

### यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **40 वाहनों से मु0– 11,600 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

### शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–23 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–10 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 135 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

### थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

**01.** धर्मलाल पुत्र मनीराम नि0 सोहनी थाना वजीरगंज व श्रीमती बड़का पत्नी धर्मलाल नि0 सोहनी थाना वजीरबंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 16 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–164/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम, 02. चेतराम पुत्र मनीराम व माता प्रसाद पुत्र बच्चू नि0 सोहनी सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 28 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–165/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम, 03. छोटका पत्नी राजाराम व श्रीमती लक्ष्मी पत्नी सीताराम नि0 सोहनी सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 14 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–166/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम, 04. श्रीमती श्याम राजी पत्नी मोहन लाल नि0 सोहनी सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 17 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–167/19, धारा 60/60(2) आबकारी अधिनियम, 05. श्रीमती कौशिल्या पत्नी श्यामू नि0 चौबेपुर चन्दापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0–168/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।

### थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. दुर्गेश उर्फ दुर्गा प्रसाद पुत्र शेष राम नि0 पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–118/19, 02. हरीराम पुत्र स्व0 सुकई नि0 पल्टीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–119/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

### विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 14 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

# सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 29.04.2019

## बलवा करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में आज दिनांक 29.04.2019 को थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा **मु0अ0सं0–173/19 धारा 147.149.323.504.506.427 भादवि** के अभियोग में वांछित अभियुक्त अशोक कुमार सिंह पुत्र स्वः रामगोपाल सिंह निवासी सकरौर ग्रामीण थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा को किया गिरफ्तार।

उक्त अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिनांक 26.04.2019 को थाना कर्नलगंज क्षेत्र के अंतर्गत सकरौरा चौराहे पर गठबंधन प्रत्याशी चन्द्रदेव यादव के कार्यालय में तोडफोड की थी। जिसके सम्बन्ध में चन्द्रदेव यादव द्वारा थाना को0 करनैलगंज में 03 नामजद व 50–60 अन्य लोगो के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 करनैलगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.04.2019 को मुखबिर की सूचना पर नामजद अभियुक्त अशोक कुमार सिंह को मौर्य नगर तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।